[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 30/2021 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जुलाई, 2021

सा.का.नि. .....(अ). - सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"80. वार्षिक विवरणी - (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44 के अधीन यथानिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटीआर-9** में वार्षिक विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पश्चात्

आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम, से प्रस्तुत करेगा:

परन्तु धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगें ।

(2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर-9ख** में प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, जिनका वित्तीय वर्ष के दौरान संकलित आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक हैं, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्रों के माध्यम से, ऐसे वित्तीय वर्ष कि समाप्ती के पश्चात् आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के साथ धारा 44 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट स्वप्रमाणित समाधान विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर-9ग** को भी दाखिल करेगा ।

3. उक्त नियम में, **प्ररुप जीएसटीआर-9**, के अनुदेशों में -

(क) पैरा 4 में, -

(क) “या वित्तीय वर्ष 2019-20” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् “या वित्तीय वर्ष 2020-21” शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी के दूसरे स्तंभ में “और 2019-20” शब्द और अंकों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं “, 2019-20 और 2020-21” शब्द और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, -

(क) क्रम संख्या 6ख के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20" अक्षरों और अंकों के पश्चात् "और 2020-21" अक्षरों, अंकों और शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 6ग और 6घ के सामने, -

(I) "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् "और 2020-21" शब्दों और अंकों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(II) "और 2019-20" शब्दों और अंकों के स्थान पर "2019-20 और 2020-21" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 6ड. के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21" अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड., 7च, 7छ और 7ज के सामने प्रविष्टि में "2018-2019 और 2019-20" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2018-19, 2019-20 और 2020-21" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) पैरा 7 में, -

(क) "अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020।" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारों जिनको अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के बीच **प्ररुप जीएसटीआर- 3ख** में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिलकर बना है ।";

(ख) सारणी के दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित प्रदायों में जोड या संशोधन के ब्यौरे किन्तु जो अप्रैल

2021 से सितंबर, 2021 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने,-

(1) "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख) इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।";

(2) "2018-19 और 2019-20" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2018-19, 2019-20 और 2020-21" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने,-

(1) "वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसका पुन: दावा किया गया था, ऐसी पुन: दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।";

(2) "2018-19 और 2019-20" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2018-19, 2019-20 और 2020-21" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) पैरा 8 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, "2018-19 और 2019-20" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं "2018-19, 2019-20 और 2020-21" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।"।

4. उक्त नियम के **प्ररूप-जीएसटीआर -9ग** में,-

(i) भाग क की सारणी में -

(क) क्रम संख्या 9 में, क्रम संख्या ट से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"ट-1	अन्य					।";

(ख) क्रम संख्या 11 में, "0.10%" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“अन्य					।”;

(ग) भाग 5 के सामने,

(I) शीर्ष में, “गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर लेखापरीक्षक की सिफारिश ”शब्दों के स्थान पर “गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) “0.10%” से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“अन्य					।”;

(ii) सारणी के पश्चात, “सत्यापन:” से प्रारम्भ होने वाले और “और तुलन पत्र आदि” के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर इसमें दी गई जानकारी सत्य और सही है और वहाँ से कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं **प्ररुप जीएसटीआर - 9ग** में समाधान विवरण की स्वप्रमाणित प्रति को अपलोड कर रहा हूं । मैं वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र आदि सहित अन्य विवरण, जैसा लागू हो, भी अपलोड कर रहा हूं।”;

(iii) अनुदेशों में,-

(क) पैराग्राफ 4 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, “2018-19 और 2019-20” जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, “2018-19, 2019-20 और 2020-21” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैराग्राफ 6 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, “2018-19 और 2019-20” जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, “2018-19, 2019-20 और 2020-21” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) पैराग्राफ 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"7. भाग V में आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्वहन की जाने वाली अतिरिक्त देयता शामिल है। कोई भी प्रतिदाय जो गलती से लिया गया है और सरकार को वापस भुगतान किया जाएगा, उसे भी इस तालिका में घोषित किया जाएगा। अंत में, कोई अन्य बकाया मांग, जिसे करदाता द्वारा निपटाया जाना है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।

(iv) भाग ख प्रमाणीकरण का लोप किया जाएगा।

(फा. सं. सीबीईसी-20001/5/2021-जीएसटी)

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 27/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 1 जून, 2021, जो सा.का.नि. सं. 371 (अ), तरीख 01 जून, 2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।